उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—1

संख्याः ——/XXVIII(1)/2014-63/2010

देहरादून, 23|1| ,2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय में समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः—

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014

भाग—एक—सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2014 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग सेवा में समूह 'क' एवं 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;
(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय,
(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,
(घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है,
(ङ) "समकक्ष पद" से समान वेतनमान का कोई अन्य पद अभिप्रेत है,
(च) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है,
(छ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है,
(ज) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,
(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा निदेशालय एवं राजकीय मेडिकल कालेजों के समस्त समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पद अभिप्रेत है,
(ञ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार

चयन के पश्चात की गयी हो,

(ट) "भर्ती" का वर्ष से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट के स्तम्भ–4 में दी गयी है।

(एक) परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती परिशिष्ट के स्तम्भ–5 में प्रत्येक पदों के सामने उल्लिखित स्रोतों से की जाएगी। राज्य सरकार पर्याप्त संख्या में नियुक्ति हेतु अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के योग्य अधिकारियों से राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के नियमानुसार इन पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भर सकती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधिकारी जो राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संकाय सदस्य के पद पर कार्य कर रहे है, उन्हें पद के लिए विहित अर्हता पूर्ण करने, संतोषजनक सेवा होने तथा उनके मूल विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने तथा सम्बन्धित संकाय सदस्य की सहमति पर राजकीय मेडिकल कॉलेजों में धारित पद पर राज्य सरकार द्वारा समायोजित किया जा सकता है।

आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा ;

परन्तु यह कि आरक्षण के लागू करने के प्रयोजन के लिए श्रेणी "क" में प्रत्येक विशेषज्ञता/विभाग से सम्बन्धित पदों की कुल संख्या को एकल इकाई के रूप में माना जायेगा।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के

अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

शैक्षिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट के रतम्भ 6 में दी गयी अर्हताएँ हों।

अधिमानी अर्हता

9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के उस कलेण्डर वर्ष की जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जाए, पहली जुलाई को नीचे दी गयी सारणी में पद के विरूद्ध विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

क्र0 सं0	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1	प्रोफेसर	30 वर्ष	50 वर्ष
2	एसोसिएट प्रोफेसर	30 वर्ष	50 वर्ष
3	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	30 वर्ष	45 वर्ष

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नीं हों :

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक अस्वस्थता

13. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसने अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उसे निर्धारित मेडिकल बोर्ड से स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग–पॉच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सीधी भर्ती द्वारा चयन किये जाने के लिए विचारार्थ आवेदन पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में मंगाये जायेंगे। आवेदन प्रपत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को, जितने वह पर्याप्त समझे और जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता–क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा। केवल साक्षात्कार के माध्यम से किए जाने वाले चयन में, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें, तो–

(क) आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को प्रवीणता क्रम में ऊपर रखा जाएगा, यदि आयु भी बराबर हो तो–

(ख) उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में वरिष्ठता क्रम में रखे जायेंगे।

सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसरित कर देगा।

आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार की जायेगी।

चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17 (1) आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती जैसा कि परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट है, चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन। – अध्यक्ष

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन। – सदस्य

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन। – सदस्य

(घ) चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित अनु0 जातियों/जनजातियों का कोई अधिकारी जो सचिव से निम्न स्तर का न हो। – सदस्य

टिप्पणी:– चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम– निर्देशन समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 यथानुकूलित की धारा 7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली 2003 के अनुसार अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे, सुसंगत चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार चयन किये गए अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार की जायेगी और उसे नियुक्ति अधिकारी को अग्रसरित कर देगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार से चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।

भाग–छः

नियुक्ति, परीवीक्षा, स्थानान्तरण, स्थायीकरण, आचरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम

यथास्थिति नियम 15,16,17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हों, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम–18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में से जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता–क्रम में किया जाएगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाये तो नाम नियम 18 निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से अस्थायी या स्थानान्तरण रूप में भी नियुक्तियाँ कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियाँ कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक इनमें जो भी पहले हो से अधिक नहीं होंगी और जहाँ पद आयोग के क्षेत्रांतर्गत हो वहाँ उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों को परिसीमन) विनियम, 2003 के विनियम 5 (क) और 6 (ग) के उपबन्ध लागू होंगे।

परिवीक्षा

20. (1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्त में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

स्थानान्तरण

21. राज्य में स्थित राजकीय मेडिकल कालेजों में तैनात संकाय सदस्यों की सेवा पूरे उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरणीय होगी।

स्थायीकरण

22. परीवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ाई या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि:–

(क) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक बताया गया हो।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित हो।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

आचरण

23. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों हेतु निर्धारित नियमावली एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/अधिसूचनाओं का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

अवधि बढ़ाया जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्तियों का जो पहले से ही स्थायी सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहे हों, परीवीक्षा–अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) सेवा में हों, परीवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

27. सेवा या पद के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

28. ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अंतर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

29. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु यह कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल या अभिमुक्त करने से पूर्व उक्त निकाय से परामर्श किया जाएगा।

व्यावृत्ति

30. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिसका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग व व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है।

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्याः 324 /XXVIII(1)/2014-63/2010 दिनांक, 23/1/, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
8. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी।
9. प्राचार्य, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।

संख्याः /XXVIII(1)/2014-63/2010 दिनांक, , 2014

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि आगामी शासकीय गजट (असाधारण) के प्रकाशित करते हुए 200 प्रतियां चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून तथा 100 प्रतियां निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 107, चन्दर नगर, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः /XXVIII(1)/2013-63/2010 दिनांक 2014

का संलग्नक

क0सं0	पदनाम	वेतनमान	कुल पदों की संख्या	भर्ती का स्त्रोत*	सीधी भर्ती /पदोन्नति /स्थानान्तरण हेतु अर्हताऐं एवं अनुभव
1	2	3	4	5	6
1	निदेशक	वेतन बैंड–37400–67000 ग्रेड वेतन – 10000	01	मौलिक रूप से नियुक्त राजकीय मेडिकल कालेजों के प्राचार्यों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्राचार्य के पद पर निरन्तर न्यूनतम 05 वर्ष का कार्यानुभव।
2	अपर निदेशक	वेतन बैंड– 37400–67000 ग्रेड वेतन– 8900	02	मौलिक रूप से नियुक्त राजकीय मेडिकल कालेजों के प्रोफेसरों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोफेसर के पद पर निरन्तर न्यूनतम 04 वर्ष का कार्यानुभव।
3	संयुक्त निदेशक	वेतन बैंड –37400–67000 ग्रेड वेतन – 8700	02	मौलिक रूप से नियुक्त राजकीय मेडिकल कालेजों के एसोसिएट प्रोफेसरों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर निरन्तर न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव।
4	उप निदेशक	वेतन बैंड –15600–39100 ग्रेड वेतन –6600	02	मौलिक रूप से नियुक्त राजकीय मेडिकल कालेजों के असिस्टेन्ट प्रोफेसरों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा किन्तु 01 पद राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के प्रधानाचार्य/उप–प्रधानाचार्यों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा नियमित अधिकारी प्राप्त न होने पर संविदा के आधार पर भरा जाएगा।	असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर निरन्तर न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव/उपनिदेशक नर्सिंग हेतु भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित प्रधानाचार्य/ उप–प्रधानाचार्य, नर्सिंग कॉलेज की अर्हता एवं अनुभव ।
5	प्राचार्य	वेतन बैंड–37400–67000 ग्रेड वेतन – 10000	02	मौलिक रूप से नियुक्त राजकीय मेडिकल कालेजों के प्रोफेसरों में से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता, 10 वर्ष का न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव (किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर/ प्रोफेसर) कम से कम 05 वर्ष प्रोफेसर के पद पर विभागाध्यक्ष

					के रूप में कार्य किया हो। वरीयता के आधार पर विभागाध्यक्ष का दिया जायेगा।
6	प्रोफेसर	वेतन बैंड–37400–67000 ग्रेड वेतन – 8700	11	1. 50 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। 2. 50 प्रतिशत पद एसोसिएट प्रोफेसरों में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	उसी विषय में 03 वर्ष का रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में कार्य करने का अनुभव। कम से कम 02 अनुसंधान प्रकाशन Indexed जनरल में हो तथा 01 अनुसंधान अन्तर्राष्ट्रीय जनरल में प्रकाशित हो।
7	एसोसिएट प्रोफेसर	वेतन बैंड– 15600–39100 ग्रेड वेतन – 7600	88	1. 50 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। 2. 50 प्रतिशत पद असिस्टेन्ट प्रोफेसरों में से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	उसी विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर 04 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव तथा कम से कम 02 अनुसंधान प्रकाशन Indexed जनरल में या 2nd author के रूप में प्रकाशित हो।
8	असिस्टेन्ट प्रोफेसर/ लैक्चरर	वेतन बैंड– 15600–39100 ग्रेड वेतन –5400	207	शत–प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	उसी विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातकोत्तर तथा किसी भी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से 03 वर्ष का रेजीडेन्ट /डिमोस्ट्रेटर/ ट्यूटर/रजिस्ट्रार के पद पर उसी विषय में कार्य करने का अनुभव।
9	चिकित्सा अधीक्षक/निदेशक, टीचिंग हॉस्पिटल	वेतन बैंड–15600–39100 ग्रेड वेतन – 6600	01	प्रतिनियुक्ति अथवा सेवा स्थानान्तरण के माध्यम से।	1. किसी भी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से स्नातकोत्तर उपाधि एवं 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।
10	लैक्चरर/स्टेटिशियन	वेतन बैंड–15600–39100 ग्रेड वेतन – 5400	15	शत–प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	किसी भी मान्यता प्राप्त उस विषय में स्नातकोत्तर मेडिकल डिग्री व उसी विषय में 03 वर्ष का किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रार/ रेजीडेन्ट /डिमोस्ट्रेटर/ट्यूटर के

					पर कार्य करने का अनुभव।
11	एनेंजन्सी मेडिकल ऑफिसर	वेतन बैंड–15600–39100 ग्रेड वेतन – 5400	18	शत–प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	मान्यता प्राप्त स्नातक मेडिकल डिग्री धारक
12	वेटेरीनरी ऑफिसर	वेतन बैंड–15600–39100 ग्रेड वेतन – 5400	02	शत–प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	किसी भी मान्यता प्राप्त वेटेरीनरी कॉलेज से स्नातक की डिग्री
13	सीनियर रेजिडेन्ट/ ट्यूटर/डिमोस्ट्रेटर	वेतन बैंड–15600–39100 ग्रेड वेतन –6600	74	संविदा पर समय समय पर आवश्यकतानुसार वार्षिक अनुबन्ध पर जो अधिकतम 03 वर्ष से अधिक न हो।	उसी विषय में किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से स्नातकोत्तर की डिग्री
14	मेडिकल फीजिसिस्ट	वेतन बैंड–15600–39100 ग्रेड वेतन –5400	05	शत–प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	एम0एस0सी0 मेडिकल फिजिक्स/एम0एस0सी0 फिजिक्स बी0ए0आर0सी0 से डिप्लोमा/स्नातकोत्तर की डिग्री
15	लेडी मेडिकल ऑफिसर	वेतन बैंड–15600–39100 ग्रेड वेतन –5400	04	शत–प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	एम0बी0बी0एस0
16	जूनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर/डिमास्ट्रेटर	वेतन बैंड–15600–39100 ग्रेड वेतन – 5400	186	संविदा पर समय समय पर आवश्यकतानुसार वार्षिक अनुबन्ध पर जो अधिकतम 03 वर्ष से अधिक न हो।	उसी विषय में किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से स्नातक की डिग्री

नोटः– भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अधिसूचना पर भारत सरकार द्वारा गजट अधिसूचना जारी किये जाने पर जो संशोधन/परिवर्तन होंगे वह समय–समय पर सम्मिलित किये जायेंगे।

(मनीषा पंवार)
सचिव।